


अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर
रामकिशन बनाम सरकार

किस्म मुकदमा:- 136 एलआरएक्ट

नं. मुकदमा.....65 / 2021

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामोल में जारी हुए |
|----------------|---|---|
| 25/03/2021 | <p>आज यह पत्रावली श्रीमान जिला कलक्टर महोदय की जनसुनवाई दिनांक 23.1.2021 में प्राप्त प्रकरण में तहसीलदार लूनकरणसर से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुरतीब की गई। दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रार्थी रामकिशन द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी रामकिशन पुत्र भैरूदान जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड न0 4 महाजन तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर नाम शुद्धि बाबत निवेदन किया गया उक्त सम्बन्ध में प्राप्त तहसीलदार लूनकरणसर रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी रामकिशन पुत्र भैरूदान निवासी महाजन के जमाबन्दी खाता संख्या 633 व बीड़संगरेउ के खाता संख्या 46 रोही ग्राम महाजन में भीखाराम रामलाल पि0 भैरूदान ना.सं. 1744 विरास्तन में रामलाल पुत्र भैरूदान व रोही ग्राम बीड़संगरेउ जमाबन्दी खाता संख्या 46 में रामकिशन पुत्र भैराराम व ना.सं. 15 में रामकिशन पुत्र भैराराम दर्ज हैं। आधारकार्ड बैंक डायरी राशन कार्ड में रामकिशन पुत्र भैराराम दर्ज हैं। इनका वास्तविक नाम रामकिशन पुत्र भैरूदान शुद्ध किया जाना उचित है कि अनुशंषा भू अभिलेख निरीक्षक महाजन एवं तहसीलदार लूनकरणसर द्वारा कि गई हैं।</p> <p>हमने तहसीलदार लूनकरणसर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। रिपोर्ट में आई.एल.आर. महाजन की फर्द मौका रिपोर्ट, जमाबन्दी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक डायरी छाया प्रतियों का अवलोकन किया गया। भू अभिलेख निरीक्षक की जांच टिप्पणी एवं तहसीलदार राजस्व लूनकरणसर द्वारा दुरुस्त करने की अनुशंषा की गई हैं। संलग्न दस्तावेजो एवं रिपोर्ट अवलोकन बाद दुरुस्ती उचित प्रतीत होती हैं। अतः मुताबिक रिपोर्ट जमाबन्दी खाता संख्या 633 व बीड़संगरेउ के खाता संख्या 46 रोही ग्राम महाजन में भीखाराम रामलाल पि0 भैरूदान ना.सं. 1744 विरास्तन में रामलाल पुत्र भैरूदान व रोही ग्राम बीड़संगरेउ जमाबन्दी खाता संख्या 46 में रामकिशन पुत्र भैराराम व ना.सं. 15 में रामकिशन पुत्र भैराराम दर्ज हैं उक्त रिकॉर्ड में मुताबिक तहसीलदार लूनकरणसर रिपोर्ट प्रार्थी का वास्तविक नाम रामकिशन पुत्र भैरूदान हैं जिसे दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार लूनकरणसर को मुताबिक आदेश दुरुस्ती अमलदरामद करने बाबत आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार हो कर हसब जाब्ता दाखिल दफत्तर हों।</p> |  |

(भागीरथ अश्विकारी)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरणसर

